न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़

(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–I)

राजस्व आवेदन संख्या 67/2025

अन्तर्गत धारा 251ए RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कमलसिंह सोढा पुत्र धीरसिंह 2. अगरसिंह पुत्र गोरधनसिंह 3. अगरकंवर पत्नी पुरसिंह 4. गोपालसिंह पुत्र धीरसिंह 5. तनसिंह पुत्र धीरसिंह 6. प्रेमसिंह पुत्र धीरसिंह 7. शैतानसिंह पुत्र पुरसिंह 8. श्यामसिंह पुत्र पुरसिंह 9. सिरेकंवर पत्नी धीरसिंह 10. हिन्दूसिंह पुत्र पुरसिंह जाति–राजपुत, नि0 सालमसिंह की बस्ती तह0 गडरारोड़		1. उमेदाराम पुत्र भवराराम 2. उदीदेवी पत्नी लेखुराम 3. नारणाराम पुत्र भंवराराम 4. भवानीराम पुत्र लेखुराम 5. मेगा पुत्र जैसा जाति–सुथार, नि0 सालमसिंह की बस्ती तह0 गडरारोड़ 6. अमरसिंह दतक पुत्र परबतसिंह जाति–राजपुत, नि0 लाम्बडा तह0 गडरारोड 7. गिरधरसिंह पुत्र अमरसिंह 8. मोतीसिंह पुत्र अमरसिंह 9. जालमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति–राजपुत, नि0 सालमसिंह की बस्ती तह0 गडरारोड 10. ग्राम पंचायत खानियानी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत खानियानी तह0 गडरारोड़ 11. तहसीलदार गडरारोड

आदेश

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त कथन यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा सालमसिंह की बस्ती, पटवार मण्डल–चेतरोडी तह0 गडरारोड जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 704 रकबा 17.9680 हैक्टेयर का अया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जोत में आने जाने हेतु अन्य खातेदारान् विप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के खातेदारी जोत में से होकर नया माार्ग खुलवाना चाहते है। प्रार्थीगण प्रस्तावित नवीन मार्ग को पीढियों से उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है और उक्त रास्ता कदीमी रास्ता है और अभिलेख में भी इसी रास्ते से आवागमन हो रहा है। मौजा–सालमसिंह की बस्ती के खसरा नम्बर 708, 2097/707 रकवा क्रमशः 19.1173, 15.6492 हैक्टेयर का नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल वाला भू–भाग नया रास्ता खुलवाने हेतु मांग है इस भूमि मे से प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है इस हेतु आवश्यक भूमि तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा बाद पैमाइश वर्णितानुसार रकबे अनुसार चाही गई है। हम प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खते खसरा नम्बर 704 रकबा 17.9680 हैक्टेयर भू–भाग में रहवासी ढाणियों में आने जाने व कृषि सयंत्र जैसे ट्रेक्टर, कल्टीवियर, तवी, थ्रेसर, पानी का टेंकर एवं अन्य साधन लाने ले जाने हेतु नक्शा में बंरग लाल से प्रदर्शित मार्ग पर ही आवगमन होता रहा है। इस मार्ग के अलावा अन्य कोई आम रास्ता एवं कटाण या सडक नजदीक में नहीं है। उक्त रास्ते को ही प्रार्थीगण हमेशा उपयोग मे लेते आ रहे है, लेकिन 1 माह पूर्व उक्त रास्ता की भूमि पर प्रार्थीगण को जाने से विप्रार्थी संख्या 1 से 10 द्वारा मना करने पर रास्ता कटाण करवाने की आवश्यकता मह[illegible] प्रार्थीगण को आने जाने हेतु साधन ले जाने के लिए उक्त रास्ता ही [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:48:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को जरिये नोटि[illegible] किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की और से वकील श्री कंवराज बैनिवाल उपस्थित होकर अपना जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिर्पोट अनुसार किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। विप्रार्थी संख्या 6 से 9 की ओर से वकील श्री भोपालसिंह भाटी द्वारा दिनांक 26.08.2025 से जवाब में चल रही है किन्तु विप्रार्थीगण संख्या 6 से 9 की ओर से जवाव पेश नही किया जा रहा है, विप्रार्थी संख्या 6 से 9 का जवाब बन्द किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 5 तथा 10 के नोटिस तामिल होने के

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

विप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से विप्रार्थी संख्या 5 तथा 10 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रकरण में तहसीलदार गडरारोड़ के कोर्ट/2025/1587 दिनांक 06.10.2025 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा सालमसिंह की बस्ती की आबादी से खसरा नम्बर 704 तक जाने के लिए खसरा नम्बर 719 व खसरा नम्बर 2097/707 अमरसिंह वगैरा की खातेदारी भूमि तथा 708 उम्मेदाराम वगैरा की खातेदारी में होकर गुजरना पडता है। खसरा नम्बर 719 गोचर भूमि हे इसलिए कटान मार्ग की आवश्यकता नहीं है तथा खसरा नम्बर 708 के खातेदारो ने कटाण मार्ग के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है तथा खसरा नम्बर 2097/707 में कुल 155 मीटर लम्बा रास्ता है तथा 12 फीट चौडाई का मार्ग का कुल रकबा 0.07 बीघा है तथा खसरा नम्बर 708 में कुल 450 मीटर लम्बा रास्ता है तथा 12 फीट चौडाई का मार्ग का कुल रकबा 1.00 बीघा है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है। ग्राम सालमसिंह की बस्ती की डी.एल.सी. दर 11,000 प्रति बीघा है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व मौका रिपोर्ट का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने विप्रार्थी संख्या 1 से 09 की खातेदारी भूमि मे से रास्ता की मांग की है। प्रार्थीगण के आवेदन को विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने कम दूरी वाले रास्ते को स्वीकार करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की है।

तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है। किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में नवीन रास्ता खुलवाने हेतु मांग की जा सकती है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी पर है। उक्त रास्ते की मांग आत्यान्तिक आवश्यकता की मांग होने से तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना साबित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के समस्त आवश्यक अर्हताओं को पूर्ण करता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर **मौका रिर्पोट के संलग्न नक्शा** अनुसार रास्ता घोषित किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सालमसिंह की बस्ती, पटवार मण्डल– चेतरोडी तह0 गडरारोड के खेत खसरा नम्बर 704 रकबा 17.9680 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने हेतु मौका फर्द मे वर्णित विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2097/707 अमरसिंह वगैरा की खातेदारी भूमि तथा खसरा नम्बर 708 उम्मेदा राम वगैरा की खातेदारी में होकर गुजरना पडता है तथा खसरा नम्बर 719 गोचर भूमि है तथा खसरा नम्बर 708 के खातेदारों ने कटान मार्ग के लिए अपनी सहमती व्यक्त की है तथा खसरा नम्बर 2097/707 की खातेदारी भूमि के प्रभावित रकबे अनुसार डी.एल.सी. दर से गणना की जाकर तहसीलदार गडरारोड़ देय क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाये जाने पर तहसीलदार गडरारोड़ को रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने पर तहसीलदार गडरारोड़ विप्रार्थीगण को प्रभावित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि का भूगतान करें तथा सरकारी भूमि की क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार गडरारोड़ के खाते मे जमा कराने के आदेश दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:48:54 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

...ा है। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा जरिए पत्र कमांक/राज./2024/1587 दिनांक 06.10.2025 को प्रेषित फर्द मौका के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:48:54 IST
Reason: SelfAttested